उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-60/2016/2565/30-3-16-8बी/2014

लखनऊ, दिनॉक 30 सितम्बर, 2016

संशोधन/शुद्धि-पत्र

प्रदेश के पूर्व निर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय-मुजफ्फरनगर में सारथी हॉल सहित भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय किस्त की धनराशि रू0 221.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-58/2016/2114/30-3-16-08बी/2014, दिनॉक 22-09-2016 के प्रथम प्रस्तर की तीसरी पंक्ति में त्रुटिवश अंकित **प्रदेश के पूर्व निर्मित सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन सारथी हॉल के निर्माण** के स्थान पर "**सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरनगर में सारथी हॉल सहित भवन निर्माण"** पढ़ा जाय, उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर की तीसरी पंक्ति में त्रुटिवश अंकित **वित्तीय वर्ष 2014-15 के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2015-16"** पढ़ा जाय, उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर की 10वीं पंक्ति एवं प्रस्तर-2 की तीसरी पंक्ति में त्रुटिवश अंकित **09-सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरनगर में सारथी हॉल का निर्माण** के स्थान पर "**सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरनगर में सारथी हॉल सहित भवन निर्माण"** पढ़ा जाय तथा उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर के उप प्रस्तर-(7) में त्रुटिवश अंकित **संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हॉल के निर्माण के मानकीकरण शासनादेश संख्या-2011/30-3-13-10बी/2013टीसी, दिनॉक 13-09-2013** के स्थान पर **"संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय (सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड बनाने के लिये हॉल सहित) निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-3064/30-3-13-10बी/2013, दिनॉक 10-10-2013"** पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनॉक 22-09-2016 तद्नुसार संशोधित माना जायेगा/ उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या- 60/2016/2565(1)/30-3-2016, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
6- वित्त, (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in